न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2022, जीसीएमएस प्रा. पत्र संख्या 2022/42

प्रार्थी

रघुनाथाराम पुत्र इसराराम जाति विश्नोई निवासी, पांचला तहसील सांचौर जिला जालोर।

अप्रार्थीगण

1. इसराराम पुत्र रिड़मलराम जाति विश्नोई निवासी, पांचला तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।
3. उपपंजीयन अधिकारी सांचौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थिति :—

1. श्री इब्राहीम शाह, अमजद खान, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भगवती प्रसाद, श्री चेतन कुमार, श्री सुरेश पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः— 16.03.2026

1. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया गया वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वाके सरहद मौजा पांचला में खेत खसरा संख्या 1012/135, 1013/136, 138 में पुश्तैनी बताकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है किन्तु अप्रार्थी ईसराराम के तीन पुत्र जगदीश कुमार, रघुनाथाराम व सुरेश है तथा तीन पुत्रीया मोहनीदेवी, समादेवी व सुमनदेवी है तथा धर्मपत्नी चौथीदेवी होने के बावजूद प्रार्थी ने जगदीश कुमार, सुरेश, मोहनीदेवी, समादेवी, सुमनदेवी को उक्त प्रार्थना में पक्षकार नहीं बनाया है तथा वादग्रस्त आराजी पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर के बैंक मे रहन होने बावजूद उन्हे पक्षकार नहीं बनाया है जबकी कानून की मंशानुसार प्रत्येक सहखातेदार का पक्षकार संयोजित करना आवश्यक है, ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पूर्णतया विधि विरुद्व होने खारिज फरमावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

2. वकील प्रार्थी ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी अकेले ईसराराम के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पति का प्रार्थना पत्र पेश किया होने से उन्हे पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमावें।

3. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली –भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी का अवलोकन एवं अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त वादग्रस्त आराजी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर में रहन है तथा अप्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थनापत्र अनुसार ईसराराम के अन्य वारिशान जगदीश कुमार, सुरेश, मोहनीदेवी, समादेवी, सुमनदेवी, चौथीदेवी को प्रार्थी ने पक्षकार संयोजित नहीं कर सिर्फ ईसराराम को पक्षकार बनाया है इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी में सभी पक्षकारो का हित निहित है।

4. इस प्रकार सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के अनुसार कुसंयोजन और असंयोजन कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या अंसंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष है, अधिकारों और हितों का सम्बन्ध है परन्तु इस नियम की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी। अर्थात सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

5. इस प्रकार सिविल प्रकिया के आदेश 1 नियम 9 की पालना नहीं कर बैंक व ईसराराम के अन्य वारिशान (पुत्र, पुत्रीया व पत्नी) को आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है अतः यह प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्णित होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र और राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर में रहन है तथा प्रार्थी ने पुश्तैनी भूमि बताकर उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी ईसराराम के विरुद्व पेश किया है परन्तु ईसराराम के अन्य वारिशान को प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार यह निश्चय कने के लिये कोई व्यक्ति एक आवश्यक पक्षकार है या नहीं, सही मापदण्ड निर्धारित करते हुए (1) ए. आई.आर. 1953 सु.को.521 (2) ए.आई.आर. 1963 इलाहाबाद 126 (पूर्णपीठ) (3) आर. आर.डी. 1955 पेज 751 में निर्धारित किया गया है कि –

(1) कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है या नहीं–सही मापदण्डः– उस कार्यवाही में अर्न्तकलित मामले के बारे में ऐसे पक्षकार के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए आधिकार हो, और ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नहीं हो। ये दानों पूरे होने आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

(2) खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए वादः— सह काश्तकार के पक्षकार बनाये बिना डिक्री पारित नहीं की जा सकती। खातेदारी हकों की घोषणा के दावे में राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है। (डिक्रीयों व आदेश किए गए)

6. इस प्रकार उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में बैंको का हित निहित होने व बैंको की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि से वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता बखूबी साबित होने से हम इसे स्वीकार करना उचित समझते है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार (नामंजूर) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रमोद कुमार आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 16.3.2026 को सर — ए — इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)